

# Tijaria Polypipes Limited



Date: 25/03/2026

To The Manager, Department of Corporate Services BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001 Scrip Code: 533629	To Listing Compliances, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Mumbai-400051 NSE Symbol: TIJARIA
--	--

Dear Sir/ Madam

**Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

**Ref: Copy of Order of Additional Chief Judicial Magistrate.**

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, Please find enclosed herewith the Order Received from Order of Additional Chief Judicial Magistrate, Jaipur, Rajasthan.

This is for your information and records please.

Thanking You.

For Tijaria Polypipes Limited

Praveen Jain Tijaria  
Digitally signed by  
Praveen Jain Tijaria  
Date: 2026.03.25  
17:04:09 +05'30'

**Praveen Jain Tijaria  
Whole Time Director  
Din No.00115002**

**Encl: As Above**

PIPING SOLUTIONS

**Correspondence Office:**

A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area  
Jaipur-302013 (Raj.) India  
Tel : 0141-2333722  
E-mail: info@tijaria-pipes.com

**Regd. Office / Works:**

SP-1-2316, RIICO Industrial Area  
Ramchandrapura, Sitapura Extn.  
Jaipur-302022 ( Raj.) India.  
CIN - L25209RJ2006PLC022828



**न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर-द्वितीय**

पीठासीन अधिकारी :: राजेश कुमार मीना, आर.जे.एस.  
प्रकरण संख्या :: 09/2015 CIS-444/2015  
सीएनआर नम्बर :: RJJT020021102015

कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान, जयपुर

-परिवादी

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016
2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाडी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006
6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी-6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016

-अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. परिवादी की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक श्री आदित्य सहल उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह शेखावत, प्रफुल्ल खुराना, दीपक शर्मा विद्वान अधिवक्ता-अभियुक्तगण

-: निर्णय ::-

दिनांक :-17.03.2026

1. परिवादी कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान, जयपुर द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध एक परिवाद कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत इस आशय का पेश किया कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड परिवादी के कार्यालय में पंजीकृत कंपनी है जिसके पास शेयर पूंजी है और वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत

-sd-

(राजेश कुमार मीना)  
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय





17.07.2006 को पंजीकृत की गई थी। अभियुक्तगण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2012-सीएल-II दिनांक 06.09.2012 की अनुपालना में कंपनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक राजस्थान जयपुर द्वारा कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स व रिकॉर्ड का निरीक्षण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209ए के तहत किया गया। कंपनी मेसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्ट्स दिनांक 12.09.2011 कंपनी के व्यवसाय के विस्तार एवं विविधता हेतु परिवादी कार्यालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का, जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल रुपये साठ करोड का जारी किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी ने पाया कि कंपनी के निदेशक मण्डल की मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में कंपनी के व्यवसाय खर्चों के लिए लोन लेने हेतु प्रस्ताव पारित किया। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से लिए गये आईसीडी एवं इनके पुनर्भुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं करके तथ्यों को छिपाया गया। इस कारण निवेशकों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं देकर तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन किये। अभियुक्तगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में तथ्यों को छिपाते हुए झूठे कथन किये जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी का भुगतान आईपीओ में से किया गया, जबकि उक्त भुगतान प्रोस्पेक्ट्स के उद्देश्य या जारी करने से संबंधित उपयोगिता की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं था। कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में पृष्ठ 56 पर यह दर्शित किया कि जारी किये गये इश्यू से संबंधित कोई ब्रिज लोन नहीं लिया है जबकि इश्यू के उद्देश्यों से संबंधित विवरण में यह अंकित था कि वर्किंग कैपिटल मार्जिन हेतु रुपये 8.6 करोड एवं कंटीजेन्सीज हेतु 2.8 करोड प्रस्तावित थे परन्तु आईसीडी के भुगतान के बारे में कुछ भी अंकित नहीं था। इस प्रकार कंपनी ने आईसीडी के भुगतान करने के संबंध में इश्यू से संबंधित प्रक्रिया में कोई खुलासा नहीं किया। इस प्रकार कंपनी एवं निदेशकगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में मिथ्या सूचना दी, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत

-sd-



दंडनीय अपराध है। प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ 76 पर के मद इंटरिम यूज ऑफ प्रोसीड में यह अंकित किया गया कि इश्यू में प्राप्त बकाया राशि का उपयोग विभिन्न प्रकार के निवेश करने में किया जाएगा। यद्यपि कंपनी द्वारा इश्यू से प्राप्त राशि में से आईसीडी का पुनर्भुगतान करना प्रोस्पेक्टस में दिए गए विवरणों में सम्मिलित नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा लिये गये आईसीडी की राशि का उपयोग प्रमोटर्स/प्रमोटर्स के संबंधित व्यक्तियों को भुगतान करने में किया गया। अतः आईपीओ से प्राप्त राशि में से प्रमोटर्स/उनके संबंधियों को उनके लोन का पुनर्भुगतान करने के संबंध में प्रोस्पेक्टस में कोई खुलासा नहीं किया जो कि प्रोस्पेक्टस में तथ्यात्मक रूप से दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में मिथ्या कथन है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। प्रोस्पेक्टस के पेज नम्बर 18 पर यह कथन किया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन एग्रीमेंट में यह पारस्परिक स्वीकृति है कि कंपनी के असुरक्षित ऋण में परिवर्तन होने की स्थिति में परिवर्तन के पूर्व बैंक से इस संबंध में लिखित स्वीकृति लेगी। इस संबंध में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर मिड कारपोरेट ब्रांच ने यह स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्टस की तिथि से पहले आईसीडी लेने के संबंध में कोई लिखित स्वीकृति नहीं ली। उक्त प्रकार से स्वीकृति लेने हेतु लोन एग्रीमेंट के अनुसार प्रोस्पेक्टस में कथन किया गया है। अतः प्रोस्पेक्टस में उपरोक्त प्रकार से दिए गए स्टेटमेंट कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 65(1) के क्लॉज के अनुसार अनदू की परिभाषा में आता है एवं प्रोस्पेक्टस में तथ्यात्मक रूप से झूठे हैं जो कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय है। कंपनी के विरुद्ध आईपीओ के संबंध में सेबी के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी। सेबी द्वारा किये गये अनुसंधान के दौरान कंपनी के निदेशक ने यह सूचित किया कि कंपनी ने दिनांक 23.05.2011 को रुपये एक करोड़ हेराल्ड कॉमर्स लिमिटेड एवं 09.06.2011 को रुपये 75,00,000/- बाहुबली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से आईसीडी ली। उक्त आईसीडी माह सितम्बर 2011 से पूर्व ली गई थी, किन्तु उक्त आईसीडी का खुलासा प्रोस्पेक्टस में अनसिक्योर्ड लोन्स मद के अंतर्गत नहीं किया गया था। इस बाबत यह भी पाया कि माह मई व जून 2011 में

—sd—



2. उक्त परिवाद पत्र पर नियमानुसार जांच के उपरांत दिनांक 20.01.2015 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया गया एवं प्रकरण दर्ज किया जाकर विचारण प्रारम्भ किया गया।
3. अभियुक्तगण को कम्पनी अधिनियम की धारा 63, 68, 628 का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 63, 68, 628 का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप को सुन-समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।
4. परिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू-1 इमरान अहमद सिद्दकी, पी.ड. 2 रमेश कुमार मीना, पी.ड. 3 बनवारी लाल शर्मा की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा चार्ज पश्चात् गवाह पी.ड. 3 बनवारी लाल शर्मा के बयान पुनः लेखबद्ध किए गए दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रदर्श पी-2 प्रोस्पेक्ट तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड, प्रदर्श पी-3 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज् जयपुर द्वारा रीजनल डाइरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कोरपोरेट अफेयर्स अहमदाबाद को लिखा गया पत्र दिनांकित 20.03.2014, प्रदर्श पी-4ए कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्, जयपुर द्वारा जारी पत्र दिनांकित 31.12.2013, प्रदर्श पी-5ए तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज्, जयपुर को लिखा गया पत्र दिनांकित 13.02.2014, प्रदर्श पी-6ए से पी 11ए शॉ कॉज नोटिस, प्रदर्श पी-12 एनुअल रिटर्न, प्रदर्श पी-13 परिवाद, प्रदर्श पी-14 से प्रदर्श पी-18 सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 2A(a) ऑफ द बैंकर्स बुक्स ऑफ एवीडेंस एक्ट 1891 प्रदर्शित करवाया गया।
5. अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुये निर्दोष होना व झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि आईसीडी और उसके पुनर्भुगतान के संबंध में उन्होंने पासपोर्ट में झूठे तथ्य अंकित नहीं किये हैं इश्यू



उपरोक्त ली गई आईसीडी के बारे में मर्चेंट बैंकर्स के समक्ष कोई खुलासा नहीं किया गया था। कंपनी द्वारा उपरोक्त प्रकार से किये गये कार्य को अप्रूव करने हेतु कोई बोर्ड मीटिंग नहीं की गई थी, इस संबंध में कंपनी ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2011 द्वारा मर्चेंट बैंकर्स को इस प्रकार सूचित किया कि वर्तमान में इस तरह की कोई भौतिक प्रगति नहीं है जो कि कंपनी के संचालन एवं कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हो। इस प्रकार कंपनी एवं इसके निदेशकगण द्वारा उपरोक्त प्रकार से ली गई दो आईसीडी का विवरण प्रोस्पेक्ट्स में नहीं देना व मर्चेंट बैंकर्स को इस बारे में कोई सूचना प्रेषित नहीं करना कंपनी अधिनियम की धारा 628 के अंतर्गत तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन की परिधि में आता है। कंपनी द्वारा इसके विस्तार एवं विविधिकरण प्रोजेक्ट में आयतित एवं स्वदेशी मशीनरी हेतु कमश रुपये 50.25 करोड़ एवं रुपये बारह करोड़ राशि प्रस्तावित थी। इसी क्रम में कंपनी ने लगभग रुपये 10.13 करोड़ विदेशी मशीनरी एवं रुपये 5.76 करोड़ स्वदेशी मशीनरी पर दिनांक 15 जुलाई 2011 तक खर्च किये। आईपीओ फण्ड्स एवं इसके उपयोग से संबंधित स्टेटमेंट से यह प्रकट होता है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्ट्स में दर्शाई गई राशि के अनुसार आयतित एवं स्वदेशी मशीनरी पर खर्च नहीं किये एवं प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में झूठे कथन किये एवं तथ्यों को छिपाया जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 628 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उपरोक्त उल्लंघन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर निरीक्षण अधिकारी ने पत्र क्रमांक ROC/inspn/209A/22828/2012-13/2035 दिनांक 31.12.2013 द्वारा कंपनी एवं उसके डाइरेक्टर्स से स्पष्टीकरण मांगा जिसका दिनांक 13.02.2014 को जवाब दिया गया जो असंतोषजनक पाया गया। उक्त उल्लंघन के लिए परिवादी कार्यालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया गया था जिसका कोई जवाब परिवादी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित करने की कृपा करे।

—sd—



प्रकार का अपराध बनना संभव नहीं है। परिवादी के परिवाद का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है। यह विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के अंतर्गत दायर परिवाद में न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रोस्पेक्ट्स में कोई असत्य/मिथ्या कथन किया गया जो कि मेटेरियल फ़ैक्ट है एवं उसको दर्शाने की Statutory या Legal requirement है अथवा नहीं। मात्र इस आधार पर कि कंपनी द्वारा प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्राप्त धनराशि का निवेश या उपयोग नहीं किया गया है यह नहीं माना जा सकता कि उक्त धाराओं का उल्लंघन हुआ है। प्रोस्पेक्ट्स में कथन करना तथा उसके पश्चात् उसमें किए गए तथ्यों का पालन न किया जाना दोनों पृथक एव अलग-अलग विषय है। परिवादी पक्ष की ओर से मनमाने तरीके से अभियुक्तगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाये जाने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए -

1. Aneeta Hada vs M/S Godfather Travels & Tours pvt. ltd on 27 April, 2012 Supreme Court of India
2. Sunil Bharti Mittal vs Cbi on 9 January 2015 Air 2015 Supreme Court 923
3. Criminal Appeal No. 11 of 2025 Sanjay Dutt & Ors versus The state of Haryana & anr. Supreme Court of India
4. M/S. Dalmia Bharat Ltd vs The Assistant Registrar of Companies on 26 August, 2022 Madras High Court
5. (2014) 182 Comp Cas 13 : 2013 SCC Online AP 867 Dr. T.H. Chowdary versus Registrar of Companies and another
6. 2021 scc online SAT 263 Mohandas Shenoy Adige 2 vs Securities and Exchange Board of India
8. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार है :-

“आया कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसके अभियुक्तगण जिम्मेदार अधिकारी/संचालक रहे हैं

-sd-  
(राजेश कुमार मीना)  
अति-मुख्य न्यायिक रजिस्ट्रार  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



से संबंधित कोई झूठे बयान प्रोस्पेक्ट में नहीं किया गया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई प्रस्तुत नहीं करना जाहिर किया, इस पर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

6. बहस अन्तिम उभय पक्षों की सुनी गई। बहस के दौरान परिवादी के अधिवक्ता ने परिवाद में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अभियुक्तगण जो कंपनी के संचालक एवं ऑफिसर इन डिफाल्ट हैं ने एक सुनियोजित जानबूझकर एवं छलपूर्वक योजना के तहत दिनांक 12.09.2011 को एक ऐसा प्रोस्पेक्ट्स जारी किया जिसमें भौतिक रूप से झूठे कथन सम्मिलित थे तथा आवश्यक तथ्यों को छिपाया गया था। विस्तार एवं विविधीकरण के बहाने आम जनता से साठ करोड रुपये का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम करने के लिए प्रेरित किया गया तथा आईपीओ से प्राप्त राशि को तुरंत ही पूर्व विद्यमान अंतरः निगम जमा तथा प्रयत्कों/उनसे संबंधित इकाइयों के ऋणों के भुगतान में डायवर्ट कर दिया जो निर्गम/प्रोस्पेक्ट के घोषित उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस प्रकार अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्ट्स की शर्तों का उल्लंघन किया। परिवादी का मामला परिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से संपुष्ट है। अभियुक्तगण ने अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिससे अभियुक्तगण दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

7. दौरान बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि जहां तक धारा 628 के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है उक्त धारा के साधारण अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अपराध केवल किसी सब्सकाइबर द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में परिवादी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का उक्त धारा के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं बनता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक आरओसी द्वारा किसी भी सब्सकाइबर द्वारा की गई कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त ही नहीं हुई है। अतः इस आधार पर धारा 628 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी

- sd -



कर सकता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को परिवाद प्रस्तुत करने हेतु कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है।

धारा 621 कंपनी अधिनियम 1956 इस प्रकार है – OFFENCES AGAINST ACT TO BE COGNISABLE ONLY ON COMPLAINT BY REGISTRAR, SHAREHOLDER OR GOVERNMENT

(1) No Court shall take cognisance of any offence against this Act which is alleged to have been committed by any company or any officer thereof, except on the complaint in writing of the Registrar, or of a shareholder of the company, or of a person authorised by the Central Government in that behalf :

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a prosecution by a company of any of its officers.

Provided further that the court may take cognisance of offence relating to issue and transfer of securities and non- payment of dividend on a complaint in writing by a person authorised by the Securities Exchange Board of India.]

(1A) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), where the complainant under sub-section (1) is the Registrar or a person authorised by the Central Government, the personal attendance of the complainant before the Court trying the offence shall not be necessary unless the Court for reasons to be recorded in writing requires his personal attendance at the trial.

(2) Sub-section (1) shall not apply to any action taken by the liquidator of a company in respect of any offence alleged to have been committed in respect of any of the matters included in Part VII (sections 425 to 560) or in any other provisions of this Act relating to the winding up of companies.

(3) A liquidator of a company shall not be deemed to be an officer of the company, within the meaning of sub-section (1).

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बनाम फेयर ग्रोथ एजेन्सीज लिमिटेड (2006) 133 Compas 314(KAR) में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि धारा 621 कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की लिखित शिकायत पर ही न्यायालय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों का संज्ञान ले सकती है एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी एवं उसके संचालकों द्वारा किये गये अपराधों में Aggrieved person रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज माना जायेगा। धारा 621 कंपनी अधिनियम व माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के

- Sd -

(राजेश कुमार मीना)  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



निर्णय से यह स्पष्ट है कि कंपनी अधिनियम के तहत किये जा रहे अपराधों के संदर्भ में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पीडित व्यक्ति माना जाएगा। अतः यह नहीं माना जा सकता कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को परिवाद पेश करने की अधिकारिता नहीं हो।

**10. क्या कंपनी को पार्टी के रूप में संयोजित किए बिना परिवाद चलने योग्य नहीं है?**

अभियुक्तगण की ओर से दौराने बहस कथन किया कि कंपनी को परिवाद में पक्षकार नहीं बनाया है। कंपनी के अपराधों के संबंध में परिवाद सीधे तौर पर निदेशकों के विरुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया हो। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम का आरोप है। धारा 63 में उल्लेखित है कि (1) Where a prospectus issued after the commencement of this Act includes any untrue statement, every person who authorised the issue of the prospectus shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to 1[fifty] thousand rupees, or with both, unless he proves either that the statement was immaterial or that he had reasonable ground to believe, and did up to the time of the issue of the prospectus believe, that the statement was true.

(2) A person shall not be deemed for the purposes of this section to have authorised the issue of a prospectus by reason only of his having given -

(a) the consent required by section 58 to the inclusion therein of a statement purporting to be made by him as an expert, or

(b) the consent required by sub-section (3) of section 60.

धारा 68 इस प्रकार है कि Any person who, either by knowingly or recklessly making any statement, promise or forecast which is false, deceptive or misleading, or by any dishonest concealment of material facts, induces or attempts to induce another person to enter into, or to offer to enter into -

(a) any agreement for, or with a view to, acquiring, disposing of, subscribing for, or underwriting shares or debentures

; or



रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश संख्या 7/46/2102/-CL-II दिनांक 06.09.2012 को कंपनी का निरीक्षण करने पर पाया कि कंपनी ने प्रोस्पेक्ट्स में वर्णित शर्तों के अनुसार आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड़ इक्विटी शेयर्स रुपये दस प्रत्येक का जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर रुपये साठ का आईपीओ कुल साठ करोड़ रुपये का जारी किया गया। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से लिए गए आईसीडी एवं इसके पुनर्भुगतान के संबंध में प्रोस्पेक्ट्स में कोई खुलासा नहीं करके तथ्यों को छिपाते हुए झूठे कथन किये गये व प्रोस्पेक्ट्स में दर्शाई गई राशि के अनुसार आवातित एवं स्वदेशी मशीनरी पर खर्च नहीं किये गये व विवरणिका में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं कर गलत तथ्य अंकित कर अन्य व्यक्तियों को कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उत्प्रेरित किया। कंपनी रजिस्ट्रार राजस्थान जयपुर निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 31.12.2023 को नोटिस प्रेषित कर स्पष्टीकरण मांगा जिसका जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.07.2014 को जारी किया जिसका भी अभियुक्तगण ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार निदेशक/संचालकों द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 63, 68, 628 के प्रावधानों का उल्लंघन कर हुए उक्त अधिनियम की धारा 63, 68, 628 के तहत दंडनीय अपराध कारित किया ?

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड के लिये दायित्वाधीन होंगे ?

9. प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम का आरोप है। अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्ट प्रदर्श पी-2 12.09.2011 जारी किया एवं पब्लिक इश्यू के माध्यम से जनता से इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया। अभियुक्तगण ने आम जनता से इन्वेस्ट करने हेतु एक करोड़ इक्विटी शेयर जिसमें प्रत्येक शेयर का मूल्य दस रुपये था जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि थी, कुल साठ करोड़ का आईपीओ जारी किया। कंपनी ने पब्लिक शेयरों के माध्यम से आम जनता से इन्वेस्ट के माध्यम से साठ करोड़ रुपये प्राप्त किए। अभियुक्तगण कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन किया कि प्रकरण में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को परिवाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है प्रकरण में किसी सब्सक्राइबर द्वारा शिकायत नहीं की गई है, केवल सब्सक्राइबर ही शिकायत

- 54 -




SUNIL BHARTI MITTAL vs CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION - 2015 Supreme(SC) 17 मे माननीय न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है:-

35. It is abundantly clear from the above that the principle which is laid down is to the effect that the criminal intent of the "alter ego" of the company, that is the personal group of persons that guide the business of the company, would be imputed to the company/corporation. The legal proposition that is laid down in the aforesaid judgment is that if the person or group of persons who control the affairs of the company commit an offence with a criminal intent, their criminality can be imputed to the company as well as they are "alter ego" of the company.

36. In the present case, however, this principle is applied in an exactly reverse scenario. Here, company is the accused person and the learned Special Magistrate has observed in the impugned order that since the appellants represent the directing mind and will of each company, their state of mind is the state of mind of the company and, therefore, on this premise, acts of the company is attributed and imputed to the appellants. It is difficult to accept it as the correct principle of law. As demonstrated hereinafter, this proposition would run contrary to the principle of vicarious liability detailing the circumstances under which a direction of a company can be held liable.

कंपनी अधिनियम विशेष अधिनियम है। धारा 63, 68 व 628 के अवलोकन से यह प्रकट है कि इनमें कंपनी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। यदि विधायिका का ऐसा आशय होता तो इनमें जिम्मेदार व्यक्ति के साथ-साथ कंपनी शब्द भी प्रयोग किया जाता। अतः न्यायालय के मत में उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं।

संजय दत्त व अन्य व बनाम स्टेट आफ हारियाणा व अन्य किमिनल अपील न0 11/2025 आदेश दिनांक 2 जनवरी 2025 का ससम्मान अवलोकन किया गया। यह प्रकरण कंपनी अधिनियम के तहत अभियुक्तगण के विरुद्ध पेश किया गया है एवं आईपीओ के लिए जो प्रोस्पेक्टस पेश किया गया है वह अभियुक्तगण की ओर से पेश

  
(राजेश कुमार मीना)  
अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



किया था। अतः न्यायालय के मत में तथ्यों की गिनता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं।

अतः धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम के अपराध के लिए कंपनी को पार्टी नहीं बनाये जाने से परिवाद खारिज नहीं किया जा सकता। अभियुक्तगण कंपनी के निदेशक हैं एवं उनके द्वारा पब्लिक इश्यू के लिए प्रोस्पेक्ट्स 12.09.2011 को जारी किया गया था। प्रोस्पेक्ट्स में उन सभी तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जिन्हें जानना निदेशक के लिए आवश्यक है एवं जो निदेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। प्रोस्पेक्ट्स में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर किसी व्यक्ति ने निवेश किया या वह निवेश करने के लिए प्रेरित हुआ, प्रोस्पेक्ट्स में इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है या जानबूझकर छिपाये गये हैं क्या वे ऐसे थे जो निदेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकते थे।

दौराने यहस कथन किया कि प्रकरण परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद पेश किया गया है अतः परिवाद खारिज किये जाने का कथन किया।

M/S. Dalmia Bharat Ltd vs The Assistant Registrar Of Companies  
Cri.O.P.No.16738 of 2021 Date 26.08.2022 का ससम्मान अवलोकन किया गया।

प्रकरण अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 63,68,628 कंपनी अधिनियम का आरोप है जिसमें धारा 68 कंपनी अधिनियम में सजा की अवधि 5 साल तक है। धारा 468 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध के मामलों में कोई परिसीमा अवधि विहित नहीं है। अतः न्यायालय के मत में उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की गिनता के कारण प्रकरण पर चर्चा नहीं होते हैं।

12. गवाह पी.ड. 1 इमरान सिद्दकी, पी.ड. 2 रमेश कुमार मीना व गवाह पी.ड. 3 बनवारी लाल शर्मा ने अपने बयान में अभियुक्तगण के मैसर्स तिजारिया पोलीपार्स के निदेशक व कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी होने का कथन किया है उक्त गवाह पी. ड. 1 ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश दिनांक 06.09.2012 की पालना में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा धारा 209(1) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी का निरीक्षण करने एवं निरीक्षण के दौरान यह पाये जाने कि मैसर्स तिजारिया पोलीपार्स लि. ने



(b) any agreement the purpose or pretended purpose of which is to secure a profit to any of the parties from the yield of shares or debentures, or by reference to fluctuations in the value of shares or debentures ; shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine which may extend to 1[one lakh] rupees, or with both.

धारा 628 में If in any return, report, certificate, balance sheet, prospectus, statement or other document required by or for the purposes of any of the provisions of this Act, any person makes a statement -

(a) which is false in any material particular, knowing it to be false ; or

(b) which omits any material fact, knowing it to be material ; he shall, save as otherwise expressly provided in this Act, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

11. उक्त तीनों धाराओं के अवलोकन से यह प्रकट है कि इनमें कंपनी शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। यदि विधायिका का ऐसा आशय होता तो इनमें जिम्मेदार व्यक्ति के साथ-साथ कंपनी शब्द भी प्रयोग किया जाता।

Aneeta Hada vs Godfather Travels & Tours Pvt. Ltd. - 2012 Supreme(SC) 329 में माननीय न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है:-

39. It is to be borne in mind that Section 141 of the Act is concerned with the offences by the company. It makes the other persons vicariously liable for commission of an offence on the part of the company. As has been stated by us earlier, the vicarious liability gets attracted when the condition precedent laid down in Section 141 of the Act stands satisfied. There can be no dispute that as the liability is penal in nature, a strict construction of the provision would be necessitous and, in a way, the warrant. उक्त न्यायिक दृष्टांत धारा 138 Negotiable instruments Act 1881 से संबंधित था। अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चरपा नहीं होते हैं।

- 5d -

(राजेश कुमार मीना)  
अति-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



meeting of Board of Directors dated 10.09.2011 i.e. Just prior to the date of the prospectus reveals that a resolution was passed to apply and avail loan for meeting business expenses from the following parties:

Name of the Party	Maximum loan amount to be taken Rs.
Nihita Financial Services Pvt Ltd., Mumbai	50 Lacs
Marine Gems Pvt. Ltd., Surat	75 Lacs
Sanjivani Gems Pvt Ltd., Surat	25 Lacs
Bellisima Impex	9.5 Crore
Bellisima Impex	50 Lacs
Balasarria Holdings, Kolkata	1 Crore

The minute further records that accordingly it was decided in the said meeting to authorize Shri Vineet Jain Executive Director of the company to find out sources of raising fund and finalise the terms and conditions favorable to the Company.

14. अभियुक्तगण की ओर से बहस में कथन किया गया कि दिनांक 10.09.2011 को केवल बोर्ड रेजोलूशन धारा 292 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया जिसके द्वारा तिजारिया पोलीपाईप्स को लोन प्राप्त करने हेतु अधिरोपित किया गया। अतः यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण में दिनांक 10.09.2011 को लोन लेने हेतु बोर्ड रिजोलूशन पारित किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में जिन पार्टी से लोन लेना था उसका उल्लेख है। प्रारंभ में 12 करोड 50 लाख रूपये का लोन लेने का प्रस्ताव था एवं बाद में लोन कंपनी में प्राप्त किया एवं दिनांक 13.10.2011 को आईपीओ से प्राप्त राशि में 45,40,22,809 रूपये का भुगतान किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.10.2011 बोर्ड रिजोलूशन के कम में लोन लिया गया जो कि प्रकरण में मेटेरियल फेक्ट था जिसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस में किया जाना आवश्यक था।

15. प्रकरण में प्रोस्पेक्टस दिनांक 12.09.2011 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कार्यालय में जमा करवाया गया था जिसमें कोई भी ब्रिज लोन नहीं होने का तथ्य प्रोस्पेक्टस के पेज नम्बर 57 पर वर्णित है जिसके तहत कंपनी के ऊपर कोई ब्रिज लोन नहीं होना अंकित किया था। कंपनी के द्वारा लोन लेना एवं लोन लेने के प्रस्ताव

- Sd -

(राजेश कुमार शीमा)  
अति मुख्य न्यायिक अधिकारी  
(आर्थिक अपील) रावपुर ग्राहक, दिल्ली



को पास करना ऐसा तथ्य है जिसे जानना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण था एवं जो निदेशकों के निर्णय को प्रभावित कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में निवेश करता है तो उससे पहले वह इस तथ्य की जानकारी करता है कि पूर्व में कंपनी पर यदि कोई लोन चल रहा है तो कितना चल रहा है एवं उस लोन का भुगतान कंपनी द्वारा कैसे किया जाएगा, परन्तु कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्ट्स में कंपनी पर कोई ब्रिज लोन नहीं होने का तथ्य किया है जिससे यह स्पष्ट है कि कंपनी ने महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। प्रोस्पेक्ट्स के पेज नम्बर 57 पर आब्जेक्ट ऑफ द इश्यू वर्णित है जिसमें कहीं भी यह तथ्य वर्णित नहीं है कि आईपीओ के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी उसमें से आईसीडी का भुगतान किया जाएगा। यदि आईसीडी के भुगतान बाबत वर्णित होता तो कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले यह सोचता कि उसके द्वारा निवेश की गई राशि का भुगतान आईसीडी में किया जाएगा तो संभवतया वह निवेश नहीं करता। प्रोस्पेक्ट्स के पेज नम्बर 76 पर इंटरिम यूज ऑफ प्रोसीड्स वर्णित है उसमें भी कहीं यह वर्णित नहीं है कि आईपीओ से प्राप्त राशि का भुगतान आईसीडी के लिए किया जाएगा।

16. निरीक्षण रिपोर्ट के पेज नम्बर 18 पर यह वर्णित है कि निरीक्षण के दौरान कहा गया कि आईसीडी कच्चा माल कोई प्लान्ट व मशीनरी की आवश्यकता के लिए ली थी परन्तु आईसीडी अमाउंट का यूज प्रमोटर्स के लोन को Repayment करने के लिए किया गया। यह भी तथ्य आया कि शेयर वेयर फिनवीन प्रा लि से पचास लाख रुपये की आईसीडी 10 अक्टूबर 2011 को ली थी एवं वह पैंतीस लाख रुपये आलोक जैन तिजारिया एवं चौदह लाख तीस हजार रुपये माया जैन तिजारिया को ट्रांसफर कर दी गई एवं 13 अक्टूबर 2011 को उक्त आईसीडी का Repayment आईपीओ से प्राप्त राशि में से कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट है कि आईपीओ प्रोसीड से पूर्व आईसीडी की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रोस्पेक्ट्स में प्रमोटर्स से रिलेटेड लोन के रिपेमेंट बाबत कोई खुलासा नहीं किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट के पेज नम्बर 20 पर यह तथ्य भी वर्णित है कि 22.1 Non-disclosure of ICDs taken by the Company prior to September 2011 in the prospectus and to the Merchant Bankers. It was

-sd-

(राजेश कुमार शीना)  
अति मुख्य व्यक्ति अधिकारी  
(अर्थिक अर्थ) जयपुर नगर, दिनांक



अपने व्यापार के विस्तार एवं विविधता के लिए एक आम जनता से निवेश करने हेतु एक करोड़ इक्विटी शेयर प्रत्येक दस रुपये का जिस पर पचास रुपये प्रीमियम राशि सहित एक शेयर साठ रुपये का आईपीओ जिसकी कुल राशि साठ करोड़ रुपये जारी किए जाने का कथन किया है एवं कथन किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स ने प्रोस्पेक्टस दिनांक 12.09.2011 को जो आईपीओ के लिए परिवारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें सूचित किया था कि कंपनी अपने विस्तार एवं विविधता के लिए आम जनता से एक करोड़ इक्विटी शेयर प्रत्येक शेयर साठ रुपये के हिसाब से साठ करोड़ रुपये इकट्ठा करेगी और उक्त धनराशि अपने व्यापार के विस्तार एवं विविधता में लगायेगी। प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही अक्टूबर 2011 तक पूरी होनी थी परन्तु निदेशक मण्डल की एक मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में पारित मिनट्स के अनुसार कंपनी ने अन्य कंपनियों से लगभग साढ़े बारह करोड़ रुपये के ब्रिज लोन लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया। कंपनी के बैंक खाते की जांच करने पर पता चला कि कंपनी ने आईपीओ की साठ करोड़ की राशि में से लगभग पैंतालीस करोड़ रुपये की राशि अन्य कंपनियों/फर्मों को दिनांक 13.10.2011 को ट्रांसफर कर दी। कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट ली थी जिनका दिनांक 12.09.2011 के प्रोस्पेक्टस में कोई वर्णन नहीं है। कंपनी द्वारा आईसीडी के जरिये धनराशि इकट्ठा करने की तथ्यात्मक जानकारी जिसको प्रोस्पेक्टस में दिया जाना था, इसके विपरीत कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि उसने कोई ब्रिज लोन आईपीओ द्वारा आने वाली धनराशि के विरुद्ध नहीं ले रखा है। कंपनी ने निदेशक मण्डल की मीटिंग दिनांक 10.09.2011 में कंपनी के व्यवसाय के खर्चों के लिए लोन लेने का प्रस्ताव पारित किया। कंपनी द्वारा उक्त प्रकार से दिए गए आईसीडी एवं उनके पुनर्गुप्तान के संबंध में उक्त प्रोस्पेक्टस में खुलासा नहीं करके तथ्य को छिपाया गया। इस कारण निवेशकों को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी नहीं देकर तथ्यात्मक रूप से झूठे कथन किए।

13. प्रकरण में गवाह पी.ड. 2 रमेश कुमार मीना द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है जिसके पेज नम्बर 15 पर उल्लेखित है कि The minutes of the

- sd -

(रमेश कुमार मीना)  
अति मुख्य न्यायिक अधिकारी  
(अर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, दिनांक



सास्तिका इंटरप्राइजेज में 5.60 करोड रूपये के आर्डर कंपनी से प्राप्त किय एवं कंपनी द्वारा संपूर्ण राशि उक्त फर्गों को एडवांस में जारी कर दी गई जबकि मार्च 31 2012 तक कोई भी मशनरी उपरोक्त सप्लायर्स से प्राप्त नहीं की गई एवं न ही राशि वापस प्राप्त की जिसके आधार पर निरीक्षण अधिकारी ने यह माना कि आईपीओ से जो राशि प्राप्त हुई थी उसके डाइवर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए कंपनी ने फ्रिकेडटर्स परजेज ऑर्डर प्राप्त किये हैं न्यायालय के समक्ष कंपनी की ओर से ऐसे कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं की है कि जिन सप्लायर्स को उनके द्वारा मशीनरी वाबत भुगतान किया गया था उनके द्वारा मशीनरी प्रदान की हो या उनको एडवांस में दी गई संपूर्ण राशि प्राप्त की गई हो । प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है कि जो लोन लिया गया था उसका उपयोग कंपनी के कार्य के लिए किया गया था। प्रकरण में अभियुक्तगण ने जो राशि निवेशक से प्राप्त की थी उस राशि पर वे ट्रस्टी से ज्यादा हक व अधिकार नहीं रखते थे। उक्त राशि का उपयोग वे प्रोस्पेक्टस में वर्णित उद्देश्यों के लिए ही कर सकते थे, परन्तु अभियुक्तगण ने तथ्यों को छुपाया एवं कपट पूर्ण आशय से राशि प्राप्त की व राशि का उपयोग प्रोस्पेक्टस में वर्णित उद्देश्यों भिन्न उद्देश्यों के लिए किया। अभियुक्तगण ने निवेशको से इस विश्वास के साथ पैसा लिया कि वे उक्त पैसे का उपयोग कंपनी के विस्तार में करेंगे, परन्तु उनका आशय उक्त पैसे से प्रमोटर्स और अन्य एन्टिटीज के कर्ज के चुकाने की थी। अभियुक्तगण ने फर्जी आर्डर देकर पैसे को डाईवर्ट करने का काम किया। प्रकरण में अभियुक्तगण का आशय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक निवेश करने के लिए उत्प्रेरित किया है। प्रकरण में कंपनी ने बैंक ऑफ इडिया से लोन के करार के अनुसार आईसीडी लेने से पूर्व कोई लिखित स्वीकृति ली हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है।

Dr.T.H.Chowdary v. Registrar of Companies, Government of Andhra Pradesh and another में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है कि-Companies Act 1956 - Sections 63, 68 and 62B - Failure to adhere to statements in Prospectus cannot be considered to be a violation of statement in Prospectus so

-sd-



as to attract liability for punishment under Ss. 63, 68 and 62B - Directors become liable for punishment under said provisions only if statements in Prospectus are not true - Issuance of a statement through Prospectus and not abiding by promises made in Prospectus are two distinct activities altogether.

2021 scc online SAT 263 Mohandas Shenoy Adige 2 vs Securities and Exchange Board of India में एसएटी ने निम्न मत व्यक्त किया है कि -

21. The interim use of funds in the prospectus clearly indicates that the IPO proceeds could be temporarily invested in interest of dividend bearing liquid instruments including deposits with bank, mutual funds etc. The word "including" after the word "instruments" is only illustrative in nature and is not exhaustive. It is generally used to enlarge the meaning of the words or phrases occurring in the body of the statute or where it is intended that while the term defined should retain its ordinary meaning, its scope should be widened by specific enumeration of certain matters which its ordinary meaning may or may not comprise so as to make the definition enumerative and not exhaustive. The word 'including' is a term of extension. It imports addition and is generally used to enlarge the meaning of the preceding words. Therefore, it could include any other debt instrument such as ICDs. "Liquid instrument" means an instrument which is easily tradable, ie, an instrument which is available at the drop of a hat. An instrument which can be securely, and quickly exchanged for legal tender or which can be converted to hard cash or which can be readily converted to cash. The mere fact that the word "ICDs" was not indicated specifically in the interim use of funds in the prospectus does not mean that the interim use of funds cannot be deployed in the ICDs and can only be deployed to such instruments which were indicated in the prospectus.

प्रकरण में अभियुक्तगण ने प्रोस्पेक्टस में असत्य कथन किये हैं। अभियुक्तगण ने तथ्यों को छुपाया एवं कपट पूर्ण आशय से राशि प्राप्त की व राशि का उपयोग प्रोस्पेक्टस में वर्णित उद्देश्यों भिन्न उद्देश्यों के लिए किया। आईसीडी के माध्यम से जो राशि प्राप्त की थी वह मात्र इस उद्देश्य से राशि प्राप्त की थी आईपीओ के माध्यम से जो राशि प्राप्त होगी उसका डायवर्जन किया जा सके। प्रकरण में जो राशि प्राप्त हुयी थी उसका उपयोग माल व मशीनरी के रूप में किया गया ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायालय के मत में उक्त न्यायिक दृष्टांतों से अभियुक्तगण को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

- sd -

(राजेश कुमार शैवा)  
अति मुख्य न्यायिक रजिस्ट्रार  
(अर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, दिल्ली



observed that the SEBI had conducted investigation after a complaint alleging insider trading was received in the matter of Initial Public Offering (IPO) of Tijaria Polypipes Limited. During the course of statement recording the Director of the Company informed SEBI that they had taken ICDs from Herald Commerce limited on May 25 2011 and Bahubali Properties Private Limited on June 9, 2011 for Rs. 1 Crore and Rs. 75 Lacs respectively pri to the prospectus. The said two ICDs were taken by the Company prior to September 2011 were not disclosed.

23 मई 2011 को हेराल्ड कोमर्स से आईसीडी ली गई थी एवं बाहुबली प्रोपर्टी प्रा लि से 09 जून 2011 को एक करोड व पचहत्तर लाख रुपये की आईसीडी ली गई थी परन्तु उक्त दोनों आईसीडी का उल्लेख कंपनी के डाइरेक्टर्स द्वारा अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं किया जो कि महत्वपूर्ण तथ्य था एवं इनवेस्टर्स के निर्णय को प्रभावित कर सकता था।

17. दस्तावेज प्रदर्श पी-14 बैंक स्टेटमेंट है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि शेयरवेयर फिनविन प्रा लि से दिनांक 10.10.2011 को पचास लाख रुपये का लोन लिया गया था उसमें से पैंतीस लाख रुपये की राशि विकास जैन तिजारिया एवं माया जैन तिजारिया को चौदह लाख तीस हजार रुपये ट्रांसफर कर दी जब आईपीओ से राशि प्राप्त हुई तब उसमें से आईसीडी का भुगतान कर दिया गया प्रदर्श पी 2 प्रोस्पेक्ट में कंपनी ने वर्णित किया था कि कंपनी के विस्तार एवं विविधिकरण प्रोजेक्ट में आयातित मशीनरी हेतु 50.25 करोड एवं स्वदेशी मशीनरी हेतु 12 करोड रुपये खर्च करना प्रस्तावित है जुलाई 2011 तक कंपनी ने 10.13 करोड रुपये विदेशी मशीनरी एवं 5.78 करोड स्वदेशी मशीनरी पर खर्च किए आईपीओ की राशि प्राप्त होने के पश्चात् कंपनी ने आयातित मशीनरी पर 40.11 करोड एवं स्वदेशी मशीनरी पर 6.23 करोड रुपये खर्च करने थे परन्तु ऐसी कोई राशि खर्च नहीं की गई आईपीओ से साठ करोड की राशि कंपनी को प्राप्त हुई थी जिसमें से 25 करोड रुपये तिजारिया पोलीपाइप्स लि. खाते में ट्रांसफर कर दी गई। । कंपनी के निरीक्षण में यह तथ्य भी आया कि कंपनी के द्वारा वीआर इंटरनेशनल, नीलकंठ इंटरप्राइजेज

- 5d -



अतः उनके प्रति नरमी करती जाये एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाये।

21. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का अपराध आर्थिक मामलों से संबंधित है जिनमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को न्यायोचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

22. सुना गया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। यद्यपि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है लेकिन अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध आर्थिक अपराध से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्तगण पर प्रोस्पेक्टस में गलत कथन किये जाने तथ्यों को छिपाने व कपटपूर्वक आशय से निवेश करने हेतु उत्प्रेरित करने का गंभीर आरोप है। ऐसे अपराधों में यदि नरमी का रुख अपनाया गया तों लोगों का सेबी व शेयर मार्केट से विश्वास ही उठ जायेगा एवं अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। इस संबंध में यह न्यायालय अधिवक्ता परिवादी के तर्कों से सहमत है तथा यदि इस प्रकार के अपराधों में परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो अधिनियम के उद्देश्य ही विफल हो जायेंगे। अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### दण्डादेश

23. अतः अभियुक्तगण-

1. आलोक जैन तिज्जारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिज्जारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016
2. विकास जैन तिज्जारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिज्जारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
3. विनीत जैन तिज्जारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिज्जारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
4. प्रवीण जैन तिज्जारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिज्जारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

- 5d -

(राजेश कुमार शिन्हा)  
अभियुक्त न्यायिक रजिस्ट्रार  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



18. अतः प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर परिवादी पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम 1956 का आरोप संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

19. अतः अभियुक्तगण -

1. आलोक जैन तिजारिया प्रबंध संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32 घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर 302016
2. विकास जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
3. विनीत जैन तिजारिया पूर्णकालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
4. प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड एफ 32, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज बाड़ी, प्रथम मंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006
6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी-8 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016 को धारा 63, 68, 628 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश किए गए जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

- 5d -  
(राजेश कुमार मीना)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय

### सजा के प्रश्न पर

20. सजा के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है, पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है, अभियुक्तगण लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं।

- 5d -

(राजेश कुमार मीना)  
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर, द्वितीय



5. संतोष कुमार संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 12 गजराज वाडी, प्रथम भंजिल आरएस पोस्ट ऑफिस के सामने, जयपुर 302006

6. पदमप्रकाश सोमप्रकाश भटनागर, संचालक कंपनी मैसर्स तिजारिया पोलीपाईप्स लिमिटेड 401, लक्ष्मी विला, डी-6 कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर 302016 को धारा 63, 68, 628 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप धारा 63 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 3,000/- (तीन हजार रुपये) के अर्धदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्धदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे।

धारा 68 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (03 वर्ष 06 माह) तीन वर्ष छह माह का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 6,000/- (छह हजार रुपये) के अर्धदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्धदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (06) छह माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे।

धारा 628 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को (01) एक वर्ष का साधारण कारावास व प्रत्येक अभियुक्त को 5,000/- (पांच हजार रुपये) के अर्धदण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्धदण्ड प्रत्येक अभियुक्त (02) दो माह का साधारण कारावास अलग से भुगतेंगे। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस/ विभागीय व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अभिरक्षा अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण का सजा वारन्ट बनाया जावे। अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदत्त की जावे।



24. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

-sd-

(राजेश कुमार मीना)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय

-sd-

(राजेश कुमार मीना)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय